

Order Sheet [Contd]

Case No 142/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
19-04-17	<p>राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आवेदक/आरोपी नाथूराम अभिरक्षा से पेश सहित श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 62/17 धारा 363, 336ए, 376, 354, 34 भा.द.वि एवं धारा 3/4 पॉस्को एक्ट की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से श्री हृदेश शुक्ला अधिवक्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा विरोधियों की गलत सूचना के आधार पर आवेदक को निरोध में ले लिया है, जबकि उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। वह शांतिप्रिय जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। यदि अधिक समय तक निरोध में रहा तो उसके परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो जावेगी। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक वल दिया है कि आवेदक/अभियुक्त नाथूराम प्रकरण के मुख्य आरोपी कृष्णा के पिता गब्बरसिंह का भाई है और केवल परिवार का होने के कारण आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। आवेदक/अभियुक्त शासकीय सेवा में होकर पोस्टमेन है और उसके कहीं भी भागकर जाने की कोई संभावना नहीं है और इन्हीं आधारों पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>केश डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण प्रारंभ में भा.द.वि. की धारा 363 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। प्रकरण में अपहृता को दिनांक 03.04.2017 को दस्तयाव किया गया है तथा दिनांक 03.04.2017 को ही अपहृता मनीषा के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन लेखबद्ध किए गए हैं, जिसमें अपहृता ने कृष्णा के साथ पहचान होना एवं शादी का झॉसा</p>	

देकर बहलाफुसलाकर इन्दौर ले जाना एवं पत्नी बनाकर रखना व बुरा काम करने संबंधी कथन किये है। जबकि दिनांक 04.10.17 को हुए धारा 164 दं.प्र.सं. के कथनों में अपहृता मनीषा ने नाथूराम, दाताराम, गब्बर एवं आरोपी कृष्णा के द्वारा बुलाने एवं गाड़ी में पटककर ले जाने के आरोप लगाए है तथा कृष्णा, गब्बर एवं दोनों ताऊओं के द्वारा पजामे में हाथ डालने संबंधी कथन किए है। सत्यता क्या है यह गुण-दोष का विषय है। अपहृता के दो दिनांकों के कथन रिकार्ड पर है, यह गुणदोष का विषय है। प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन में शेष अनुसंधान के लिए आवेदक/अभियुक्त की आवश्यकता नहीं दर्शाई गई है। आवेदक/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं शासकीय सेवक है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों एवं उपलब्ध सामाग्री को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

परिणाम: आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार कर आदेशित किया जाता है कि ओर से न्यायालय की संतुष्टि योग्य 20000/- रूपए की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र पेश हो तो उसे निम्न शर्तों के अधीन प्रतिभूति पर मुक्त किया जावे।

शर्तें-

1. प्रत्येक तिथि दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
 2. साक्ष्य को प्रभावित प्रलोभित नहीं करेगा।
 3. जैसा अपराध किया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करेगा।
- आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।

प्रकरण पूर्ववत अभियोगपत्र प्रस्तुत हेतु दिनांक 28.04.2017 को पेश हो।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद
जिला- भिण्ड म0प्र0